संख्याः298/2024/1208/35-4-2024/35-4099/119/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 नवम्बर, 2024

विषय: जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 07/2021/28/35-4-2021 दिनांक 14 जनवरी, 2021 द्वारा **"जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड मिठवल में बघनी घाट से विमोहा घाट तक राप्ती नदी पर सेतु लम्बाई 212.55 मी० पहुँच मार्ग (दोनो तरफ 200-150 मी०) अतिरिक्त पहुँच मार्ग (दोनों तरफ 280 मी०) तथा सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण"** हेतु रु० 1938.49 लाख (जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 484.62 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। इस कार्य हेतु सेतु निर्माण / सुरक्षात्मक कार्य / पहुँच मार्ग से सम्बन्धित कार्य के लिये उ०प्र० राज्य सेतु निगम, लि० तथा अतिरिक्त पहुँच मार्ग के लिये लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इसके उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या 104/2022/283/35-4-2022 दिनॉक 29 मार्च, 2022 द्वारा रु० 484.62 लाख तथा शासनादेश संख्या 16/2023/24/ 35-4-2023/001-35-4099/119/2022 दिनांक 04 जनवरी, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 484.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार उक्त परियोजना पर कुल रू0 1453.86 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र सं0-301/अ0एवंसं0/त्वआ0वि0यो0/2024-25 दिनांक-09 अगस्त, 2024 एवं पत्र सं0-485/त्वरित आर्थिक विकास/अर्थ एवं संख्या/2024-25 दिनांक-28 सितम्बर, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि रू0 1441.79 लाख सेतु निर्माण कार्य/ सुरक्षात्मक कार्य/ पहुंच मार्ग हेतु सेतु निगम, बस्ती को तथा रू0 12.07 लाख की धनराशि अतिरिक्त पहुंच मार्ग हेतु लोक निर्माण विभाग, खण्ड - बॉसी को अवमुक्त की गयी है। साथ ही उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्गनत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग विवरण प्रस्तुत करते हुए अवशेष धनराशि के रूप में रू0 421.37 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि **रू0 421.37 लाख (रूपये चार करोड़ इक्कीस लाख सैंतीस हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(धनराशि रू0 लाख में)

परियोजना का नाम-"जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड मिठवल में बघनी घाट से विमोचा गट तक राप्ती नदी पर सेतु लम्बाई 212.55 मी० पहुँच मार्ग (दोनो तरफ 200-150 मी०) अतिरिक्त पहुँच मार्ग (दोनों तरफ 280 मी०) तथ सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण"				
क्र. सं.	**कार्यदायी संस्था का नाम**	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0	1890.21	1441.79	421.37
2	लोक निर्माण विभाग	48.28	12.07	0.00
	योग:-	**1938.49**	**1453.86**	**421.37**

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 14 जनवरी, 2021, दिनांक 29 मार्च, 2022, एवं दिनांक 04 जनवरी, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 421.37 लाख (रूपये चार करोड़ इक्कीस लाख सैतींस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष- 505404101030301 सेतुओं के चालू कार्य के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः298 /2024/1208(1)/35-4-2024/35-4099/119/2022/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7. मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल।
8. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिद्धार्थनगर।
14. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, सेतु निर्माण इकाई, बस्ती।
15. संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सिद्धार्थनगर।
16. संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ।
17. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।